

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ 1-54/09/20-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13-10-2009

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।

विषय :- शिक्षकर्मियों/अध्यापक संवर्ग को अनुग्रह राशि की सुविधा देने के संबंध में।

—0—

विभाग के परिषंत्र क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1 भोपाल, दिनांक 23.12.2005 द्वारा शिक्षार्थियों को अनुग्रह राशि की सुविधा देने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। प्रदेश में दिनांक 01.04.07 से शिक्षकर्मियों के संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षकर्मियों के संबंध में जारी किया गया यह आदेश अध्यापक संवर्ग के लिए यथावत लागू रहेगा।

वित्त विभाग द्वारा इस विभाग की नस्ती पर उनके यूओ. क्रमांक / 1864 प.क्र.प्र./चार दिनांक 12.10.2009 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

(एस.एन. शासी)
उप सचिव

म.प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 13-10-09

पृष्ठां क्रमांक / एफ 1-54/09/20-1
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मा. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

उप सचिव
म.प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

कानूनी रुप 1-55/09/20-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13-10-2009

- 1. समस्त कलेक्टर,
- 2. समस्त आयुक्त, नगर निगम
- 3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत
- 4. समस्त मुख्य नगरपालेका अधिकारी, नगर पालेका/नगर पंचायत
- 5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, अंडिया से दिवड़ी, मध्यप्रदेश

दिष्य- ग्रीन कार्डधारक शिक्षाकर्मियों/अध्यापक संघर्ग को अप्रेन वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने दावत।

-00-

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1, दिनांक 16.6.06 द्वारा ग्रीनकार्ड धारक शिक्षाकर्मियों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में दिनांक 01.04.07 से शिक्षाकर्मियों के संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संघर्ग का गउन किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों तो अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएः—

1. शिक्षाकर्मी/अध्यापक संघर्ग के रूप में कार्यरत रहते हुये परिवार नियोजन के लिये आपरेशन करवाने वाले शिक्षाकर्मियों/अध्यापक संघर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता होगी।
2. दिनांक 16.06.2006 के पूर्व परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को दिनांक 16.06.2006 से एवं इस दिनांक के उपरांत परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को परिवार नियोजन कराने के दिनांक से अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त होगा।

शेष निर्देश विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1, दिनांक 16.06.06 में उल्लेखित अनुसार यथावत लागू रहेंगे। वित्त विभाग द्वारा इस विभाग की नस्ती पर उनके यू0ओ0 क्रमांक 1863/प.क.प्र./चार, दिनांक 12.10.2009 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

(एस०एन०शर्मा)

उप सचिव

मंप्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 13-10-2009

पृ० क्रमांक एफ 1-55/09/20-1

प्रतिलिपि:-

1. चिज सहायक, मा. मंत्रीजी, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल
5. समस्त संघागीय सदुकृत संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

उप सचिव 13/10/09

मंप्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग